

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या

12/14/2018

01- दीनदार पुत्र श्री कुन्दन जाति मेव निवासी ग्राम रघुनाथगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

प्रवेश तिथि

06-03-2018

निर्णय दिनांक

06-02-2020

-अपीलाण्ट

बनाम

01-तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर राज।

रेस्पौडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़
दिनांक 31.01.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 02/2018

उपस्थित:-

01-श्री अख्तर हुसैन

-वकील अपीलाण्ट

-:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 31.01.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम रघुनाथगढ़ की सरकारी गै0मु0 बेहड़ भूमि के आराजी खसरा नम्बर 30/140.23 है0 में से 0.42 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम रघुनाथगढ़ की सरकारी गै0मु0 बेहड़ भूमि के आराजी खसरा नम्बर 30/140.23 है0 में से 0.42 है0 पर कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 11.01.2018 को पटवारी द्वारा अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह की सजा व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांट द्वारा दिनांक 28.02.2018 को विवादित आराजी पर कब्जा हटाना बताया है, जबकि तहसीलदार रामगढ़ द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 08.05.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांट का अतिक्रमण होना बताया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहसीलदार रामगढ़ का निर्णय दिनांक 31.01.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06-02-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)